भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित** प्रश्‍न संख्‍या **528**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 14 दिसम्‍बर, 2018/23 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया की बोरी का खुदरा मूल्य**

**528 डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामीः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूरिया की 45 किग्रा॰ और 50 किग्रा॰ की बोरी को निर्धारित मूल्य अर्थात अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर बेचने की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्टॉकिस्टों/विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को यूरिया के मूल्य में अतिरिक्त लेवी लगाने की अनुमति दी गयी है जिसके चलते कुछ राज्यों में यूरिया को ऊंचे दामों पर बेचा गया है/बेचा जा रहा है, जिसके परिणामतः राज्यों में यूरिया की कीमतों में अंतर आ गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क):** भारत सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के तहत उर्वरक को एक आवश्‍यक वस्‍तु घोषित किया है और आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। राज्‍य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के अतिरिक्‍त एमआरपी पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्‍चित करने के लिए पर्याप्‍त शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्‍य सरकारों को एफसीओ, 1985 तथा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने वाले किसी व्‍यक्‍ति की तलाशी लेने, माल जब्‍त करने और उसके विरुद्ध दण्‍डात्‍मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी राज्‍य सरकार से यूरिया की बिक्री निर्धारित मूल्‍य अर्थात् यूरिया के 45 किग्रा. और 50 किग्रा. बैग के एमआरपी से अधिक मूल्‍य पर करने की कोई रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है।

-: 2 :-

**(ख):** उपर्युक्‍त (क) के मद्देनजर प्रश्‍न नहीं उठता।

**(ग) तथा (घ):** किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्‍ध कराई जा रही है। यूरिया के 45 किग्रा. के बैग का एमआरपी 242 रुपये/बैग (नीम लेपन के लिए प्रभार तथा यथा लागू करों को छोड़कर) तथा यूरिया के 50 किग्रा. के बैग का एमआरपी 268 रुपये/बैग (नीम लेपन के लिए प्रभार तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है। तथापि, उत्‍तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्‍त वैट उद्गृहीत किया करती थी जिसके कारण उत्‍तर प्रदेश राज्‍य में किसानों से यूरिया के एमआरपी के अतिरिक्‍त 50 किग्रा. के बैग के लिए 34 रुपये तथा 45 किग्रा. के बैग के लिए 31 रुपये वसूलती थी। तथापि, उत्‍तर प्रदेश सरकार ने 14.11.2018 से प्राकृतिक गैस पर से अतिरिक्‍त वैट को हटा लिया है।

\*\*\*\*\*\*\*